16/5/18 वादी आवेदिका उपस्थित। वादी का बयान लिखित
लिया गया है। [illegible] प्रश्नकर्ता से [illegible]
[illegible] सुनाया गया। [illegible] फैसला
[illegible] [illegible] से [illegible] को [illegible]
[illegible] है। [illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर) राज०
पीठासीन अधिकारी - श्री विश्वामित्र मीणा R.A.S

मु.न.	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
56/17	25.05.2017	16/04/2018

उनवान

[1] साधुराम उर्फ राधेश्याम जाति खाती निवासी पहाड़वास तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज.)

- वादी

बनाम

[1] राज. सरकार जरिये तहसीलदार (भू०अ० रेकर्ड) कोटकासिम जिला अलवर (राज०)

- प्रतिवादी

दावा इस्तकरारहक मय दुरुस्ती (इन्द्राज)
अं.धारा 88,89 राज. काश्त. अधि. 1955

उपस्थित :-

[1] श्री कृष्ण कुमार यादव अभिभाषक वादी
[2] पैरोकार सरकार तहसीलदार कोटकासिम

वादी ने मय अभिभाषक न्यायालय में उपस्थित होकर एक वाद पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विवादित आराजी हाल ख.नं. 388/0.15, 403/0.04 है० का खाता सं. 142 एवं हाल आराजी ख.नं. 379/0.38 है० का खाता सं. 187 वाके ग्राम पहाड़वास तहसील कोटकासिम जिला वादी की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी है। राजस्व रिकार्ड में भी वादी के नाम का खातेदारी का अमल दरामद हो रहा है। जिस पर शांति पूर्वक काबिज व दाखिल होकर काश्त करता चला आ रहा है। विवादित आराजी हाल ख.नं. 388/0.15 है०, 403/0.04 है० दर्ज खाता सं. 142 के राजस्व रिकार्ड हाल जमाबन्दी में गलती से राधेश्याम, साधुराम पि० चन्दर समभाग खाती सा. देह खातेदार

लगातार

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

दर्ज किया हुआ है। जबकि हाल आराजी ख.सं. 379/0.38 है० एवं खाता सं. 187 के राजस्व रिकार्ड हाल जमाबन्दी में साधुराम उर्फ पारसराम पिता चन्दर खाती (जांगिड ब्राह्मण) साकिन देह खातेदार दर्ज किया हुआ है। खाता सं. 187 में साधुराम उर्फ पारसराम पिता चन्दर दर्ज किया हुआ है व सही है। मैं वादी को गांव में साधुराम व पारसराम के नाम से बोलते है। मेरे नाम खाता सं. 142 में राजस्व रिकार्ड में सहवन से पारसराम साधु पि० चन्दर दर्ज किया हुआ है। पारसराम व साधु दोनों अलग-2 नाम नहीं है। उक्त खाते में से उर्फ शब्द हटा दिया गया है या ही उक्त खाते में सहखातेदार खातेदार है। मैं वादी ही अकेला उक्त खाते का मालिक खातेदार हूँ। केवल मात्र हल्का पटवारी राजस्व कर्मचारियों द्वारा उक्त त्रुटि सहवन से हो गई है। इस गलत इन्द्राज का ज्ञान तब हुआ जब हल्का पटवारी के पास किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिये गया। तभी जमाबन्दी प्रस की नकल लेकर वाद प्रस्तुत किया। इस प्रकार विवादित आराजी हाल ख.नं. 388/0.15, 403/0.04 है: एवं खाता सं. 142 में पारसराम साधु नाम हटाकर साधुराम उर्फ पारसराम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाब दावा पेश किया जिसमें अंकित किया कि पटवारी हल्का पाटन अहीर की जांच रिपोर्ट के मुताबिक साधुराम व पारसराम दो व्यक्ति नहीं होकर एक ही व्यक्ति है। इनके पिता का नाम चन्दर है। खाता सं. 187 में आराजी नम्बर 379 में साधु उर्फ पारसराम पिता चन्दर खाती (जांगिड ब्राह्मण) सा. देह खातेदार दर्ज है जो सही है। विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में उक्त अनुसार खातेदारी में दुरुस्त की जाती है तो राज्य सरकार का कोई हित निहित नहीं है। वादी की ओर से साक्ष्य में P.W.1, P.W.2, P.W.3, P.W.4 के शपथ पत्र पेश किये गये जिसमें सभी ने दोनों को एक ही व्यक्ति बताया।

लगातार-

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

बहस विद्वान अधिवक्ता वादी सुनी गई। अपनी बहस में विद्वान अधिवक्ता ने अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराया और कहा कि विवादित आराजी ख.नं. 377, 403 खाता सं. 142 में दर्ज है उसमें भारतराम साधु पि. चन्दर दर्ज है जबकि ख.नं. 379 खाता सं. 187 में साधुराम उर्फ भारतराम पिता चन्दर दर्ज किया है। साधुराम व भारतराम दोनों एक ही व्यक्ति है। खाता सं. 187 में तो सही दर्ज कर दिया लेकिन खाता सं. 142 में एक ही व्यक्ति को भूलवश राजस्व रिकार्ड में अंकित कर दिया जो गलत है। जवाब पेशकार सरकार व रिपोर्ट हल्का पटवारी पाटनअहीर से साबित है कि एक ही व्यक्ति के दो नाम है। इसलिए वादी का नाम खाता सं. 142 में साधुराम उर्फ भारतराम दुरुस्त किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। जमाबन्दी सं. 2069-72 के खाता सं. 142 में भारतराम साधु पि. चन्दर व खाता सं. 187 में साधुराम उर्फ भारतराम पिता चन्दर व गिरदावरी ग्राम पहाड़वास सं. 2069 में साधुराम उर्फ भारतराम पिता चन्दर दर्ज है। जवाब पेशकार व रिपोर्ट हल्का पटवारी पाटनअहीर ने भी दोनों नाम एक ही व्यक्ति के बताये है। इससे यही साबित है कि साधुराम भारतराम एक ही व्यक्ति है। इसलिए दुरुस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि विवादित आराजी खाता ख.नं. 377/0.15, 403/0.04 है. दर्ज खाता सं. 142 वाके ग्राम पहाड़वास तहसील कोटकासिम में वादी का नाम साधुराम उर्फ भारतराम दर्ज किया जावे। पूर्व में अंकित इन्द्राज भारतराम साधु को हटाकर आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16/04/2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)